इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 9369-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 31 मार्च, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०११

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ९ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में, उपधारा (२) में खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ख) राजकोषीय घाटे को कम करेगी, जिसमें ३१ मार्च, २०१२ तक वह जीएसडीपी के ३ प्रतिशत से अधिक न रहे और तत्पश्चात् उसे बनाए रखेगी.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष २०११-१२ एवं उसके पश्चात् मध्यप्रदेश हेतु राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के ३.०० प्रतिशत करने के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ (क्रमांक १८ सन् २००५) की धारा ९ में यथोचित् संशोधन प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २८ मार्च, २०११

राघवजी
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.